(Shri R. Venkataraman)

this. The problem is that the share-croppers have no right in land and, therefore, they have no security to offer. Even in those cases, the Government have now instructed the banks to give loans up to Rs. 1,000/- for productive purposes without any security and purely on the promissory note executed by them. I, therefore, hope that this will reach the people even in those areas.

Sir, I am thankful to the House for the cooperation it extended to me. I take it that if there is any suggesion or any criticism at all, it is only to improve the working of rural credit. I will bear this point in mind in the operation of the Bank.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 14.10 hrs.

13.11 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till ten minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after lunch at eighteen minutes past Fourteen of the Clock.

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

SUGAR UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) AMENDMENT BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER: Rao Birendra Singh.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): Sir, I beg to move:*

"That the Bill further to amend the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

This Act was passed in 1978, and after that, Government took over some mills for a period of three years in the interest of sugarcane growers and workers and also far increased production of sugar. These mills have been working, but now we feel that this period of three years is not sufficient for their full recovery. Government has invested large sums of money on payment of arrears of sugarcane-growers and arrears of workers' pay. We feel that, at least for a period of three years more, Government should retain control over these mills. That is why we have come to the House with this Amendment. I am confident that the whole House will support this beneficial measure.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Mr. Zainal Abedin.

SHRI ZAINAL ABEDIN (Jangipur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Bill moved by the hon. Minister just now. I support it as a measure that can be called as something better than nothing.

Sugar is a very important and essential commodity of daily life to one and all. Sugar and sweetness are synonymous. But in view of the high level of price nowadays to the poor consumers it has become something bitter. . .

RAO BIRENDRA SINGH: Not now.

SHRI ZAINAL ABEDIN: In the face of this, it is the bounden duty of the Government to make certain

*Moved with the recommendation of the President.

arrangements so that poor consumers may be provided with sugar at a reasonable price. The mills under discussion were given all the facilities and concessions but the onwers of these mills did not care for the interests of the consumers as revealed from the statement made by the hon Minister just now.

The Government has invested money in these mills. So there is the question of recovery of the money and to save the mills from getting sick again. But the question is: will this extension of the term of take over for another three years creat any guarantee as to the achievement of the aims and objects of the take over?

If not, what is the Government going to do?

The Government has been spending foreign exchange on import of sugar. Why? This is due to its sympathy towards the big sugar mill owners. This policy pursued by the Government should be changed and then only the country may be self-sufficient in this regard.

Only take over of a few mills will not serve the purpose. If the country is to attain self-sufficiency in sugar at all, the Government should nationalise all the sugar mills. This is the year in which a buffer stock of sugar should be created because we are expecting a bumper crop this year. If the Government wants sugar to become cheap, a buffer stock must be created.

Nobody knows where the byproducts of sugar mills go. These byproducts by no means help the cultivators or the agricultural labourers. So I suggest that the Government should come forward with a comprehensive policy in this regard.

I would also like to know whether the Government is considering how to reduce the disparity between the open market price of sugar and the price of levy sugar. In this connection I request the hon Minister to assure the House that in no way the interests of the workers working in these mills will be affected by the extension of the term of take over of the management of these mills.

With these words, Sir, I support the Bill.

SHRI CHANDRABHAN ATHARE PATIL (Ahmednagar): I rise to support the Bill wholeheartedly.

It has been found from experience of some years by the Government and the people that the duration of 3 years period is a very short one and the Government, after taking over of such sick mills, cannot achieve the objects. So extension for a further period of 3 years is a necessity.

In this regard I would humbly like to make mention of the fact that the root causes for the sickness of such mills should be looked into and a policy laid down to root out these causes. The sick mills include the private-owned mills and also the mills run on the lines of co-operative sector. So far as the experience in Maharashtra is concerned the State can be classified in three regions, namely, Vidharbha, Marathwada and western Maharashtra. In these three zones the recovery from sugarcane is not equal and beacuse of disparity in the percentage of recovery the growers cannot get adequate price and so this is one of the reasons why the number of sick mills is increasing in Maharashtra. Recreated demands have been made by growers from Maharashtra that this aspect of the case may kindly be looked into and justice be done to them.

At the same time I would like to submit that the benefits given to the improved machinery and the technical aspect of the Bill is also being considered by the Government of India and it is a good measure, a benevolent measure to improve not only the capacity but also the potential to its fullest capacity to make out a good profit and a good turnover by the mills, but this principle is not being applied to the

(Shri Chandrabhan Athare Patil)

mills which have started recently and which have purchased old machinery and if we do not justice to these mills then it will be difficult for the agriculturists and sugarcane growers to get justice. So, these two aspects may kindly be considered while studying the aspect of the sick mills.

It is a good policy on the part of the Government to see that the mill-owners do not get an upper hand and at the cost of public funds they do not get the health of their industry and get the benefit of the improvements made by the Government. So, it is wise policy on the part of the Government to recover the dues or money invested by the Government to restore the health of the industry.

With these words I support the Bill.

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : मान्यवर, इस विधेयक की मूल आत्मा राष्ट्रीयकरण से है । सरकार के नियंत्रण में चीज लाई जाय जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह के नियंत्रण में है । इसका मूल अर्थ यही है । राष्ट्रीयकरण एक दर्शन, सिद्धान्त और नीति और व्यवहार है । और अमल भी है दर्शन और सिद्धान्त यह है कि एक बड़ी सम्पत्ति के साधन एक व्यक्ति अथवा कतिपय व्यक्तियों के समूह कार्टेल, सिंडिकेट, ट्रस्ट अथवा कम्पनी के हाथ में रहे या सम्पूर्ण समाज को हम दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक रूप से मानते हैं कि पैदावार एवं सम्पत्ति के बड़े साधन समाज के हाथों में, स्वामित्व में रहे । जो भी अर्जन हो वह समाज में सामूहिक नेतृत्व एवं संचालन में हो । उसमें लाभ हो, प्रगति हो, विकास हो तो समस्त समाज उसका उपभोग करे और सुख का अनुभव करे । यदि दुर्भाग्य से उसमें घाटा हो जाय तो सारा समाज उसको वहन करे । इस सिद्धान्त से समझौता नहीं हो सकता । एक समाजवाद की ओर प्रदेश और समाज को ले जाता है और दूसरा पूंजीवाद को मजबूत करता है केवल चीनी मिलों का प्रश्न नहीं है बल्कि देश के जो 100 एकाधिकारी पूंजीपतियों के खानदान हैं हमारे देश में जो 100 एकाधिकारी पूंजीपतियों के खानदान हैं, यह नियम सबसे पहले उन पर लागू होना चाहिए, जिनके हाथ में देश की दो तिहाई दौलत पिछले 35, 36 बरसों में एकत्र हो गई है । इन सब में जो 20 बड़े खानदान हैं, वह अपने 100 में भी दो-तिहाई धन के मालिक हो चुके हैं, इसमें सबसे बड़े टाटा और बिड़ला हैं । टाटा पहले नम्बर 1 पर थे, बिड़ला नम्बर 2 पर थे लेकिन आज पिछले 25 सालों में सरकार का वरद्-हस्त उन पर होने के नाते बिड़ला का स्थान नम्बर 1 पर पहुंच गया है और टाटा नम्बर 2 पर पहुंच गये हैं ।

पूंजीवाद, पूंजीवादी सरकार और पूंजीवादी विकास पथ एवं पूंजीवादी नीतियों का यह अनिवार्य परिणाम है कि देश की सारी सम्पत्ति कुछ चन्द घरानों में, कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथों में एकत्रित होती जा रही है । यह क्रम आजादी के बाद से आज तक हम देख रहे हैं । यदि यही क्रम चलता रहा तो अंजाम भी वही होगा जो अब तक हुआ है और इसके भयावह तथा हृदय-विदारक परिणाम भी हमारे देश में होंगे जैसे पश्चिमी योरूप या अमेरिका, जापान के उन्नत देशों में हुए हैं । ऐसी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करना और ऐसी किसी सत्ता के खिलाफ जो इस व्यवस्था और विकास पद्धति की रक्षक हो, उसके खिलाफ बगावत करना आज सबसे बड़ा युगधर्म है ।

हमारा विचार चीनी मिलों के बारे में भी यही है, जिसके सम्बन्ध में एक छोटा, नन्हा-सा विधेयक हमारे मंत्री महोदय ने पेश किया है । उपाध्यक्ष महोदय,

मैं आपसे, माननीय सदस्यों से और भारत की विशाल जनता से यही बलपूर्वक कहूंगा कि अगर देश में स्वस्थ जनवाद कायम रखना है, उसे विकसित करना है तो पूंजीवादी प्रभाव के नाग-पाश से मुक्त करना होगा, वरना हमारा प्रजातंत्र और उसके अभिनव प्रयोग केवलमात्र धोखा और पूंजीवाद की चेरी और दास बन कर रह जायेंगे जैसे कि पश्चिमी उन्नत पूंजीवादी देशों में हो चुका है।

इसीलिए कम्युनिस्ट एवं सोशलिस्ट विचार के लोगों ने तो सदैव संसद् एवं विधान-सभाओं के भीतर और बाहर हर प्रकार की आवाज उठाई है। प्रगतिशील और जनवादी विचार के कांग्रेसजनों का स्वर भी इसमें हमेशा मिलता रहा है, यह बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय था। यह प्रभाव कितना भयंकर है, इसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यहां बैठने वाले श्री जार्ज फर्नाण्डीस जब उद्योग मंत्री थे ....

MR. DEPUTY-SPEAKER: How do you calculate this progressiveness in your party?

श्री झारखंडे राय : मुझे सन् और साल याद नहीं है, लेकिन 1977 या 1978 में इन्होंने स्वीकारोक्ति की थी कि हमारे विभाग की कोई भी ऐसी फाइल नहीं है जो पूंजीपतियों से छिपी हो। बिड़ला का प्रभाव हमारे विभाग पर इतना जबर्दस्त है कि हमारी गुप्त से गुप्त फाइल भी उनको पता लग जाती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : उनको उसी वक्त रिजाइन कर देना चाहिए था।

श्री झारखंडे राय : उनमें और आप में कोई अन्तर नहीं है। पूंजी का जो ग्रिप है हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था और राजनीति की सत्ता पर, मैं उनकी बात कर रहा हूं।

चीनी मिलें सबसे ज्यादा बिहार और यू० पी० में हैं। आप उत्तर प्रदेश को ही लें। मैं उत्तर प्रदेश की विधान-सभा में 16 बरस रहा हूं। 1969-70 में जब कांग्रेस पहली बार टूटी मोरारजी और इन्दिरा जी के नेतृत्व में तो इंदिरा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का जलसा बम्बई में हुआ था। उसमें पं० कमलापति त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव था कि चीनी मिलों का सारे भारत में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये और वह प्रस्ताव सर्वसम्मत पास हुआ था, यह रिकार्ड की बात है, लेकिन वह बात आज तक क्यों नहीं अमल में लाई गई, क्या मंत्री जी और कांग्रेस-जन इसका जवाब दे सकते हैं? देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की डेलीगेटिड लेजिस्लेशन कमेटी ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया कि उत्तर प्रदेश की सारी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया। लेकिन आज तक उसका आदर नहीं किया गया। वह प्रस्ताव वहां का वहीं पड़ा हुआ है। क्या यह कथनी और करनी का अन्तर नहीं है?

उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल सब से जाग्रत और संगठित क्षेत्र है--और सब से गरीब क्षेत्र भी है। वह अंग्रेजों का विद्रोही था और तमाम गलत सत्ता का शाश्वत विद्रोही रहा है। गोरखपुर और वाराणसी मण्डल कांग्रेस-जन सम्मेलनों में सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया है।

[श्री झारखंडे राय]

जब उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह एस वी डी की सरकार के मुख्य मंत्री थे--उसमें मैं फूड मिनिस्टर.., तब तो नहीं, लेकिन जब कांग्रेस और बी के डी की मिली-जुली सरकार बनी, जिसके मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह थे, उस वक्त सरकार ने एक कमेटी बनाई, जिसमें बाबू गेंदा सिंह, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, श्री वीरेन्द्र वर्मा और श्री पृथ्वीनाथ सेठ थे, ताकि वह इस विषय पर विचार कर के अपनी रिपोर्ट दें। वह रिपोर्ट सरकार के पास आई, जिसमें कहा गया था कि चीनी मिलों का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। लेकिन वह रिपोर्ट भी ठंडे घर में, कोल्ड स्टोरेज में, रखी हुई है-- वहीं पड़ी पड़ी सड़ रही है, दम तोड़ रही है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please come to the Bill proper; you have not dealt with the Bill. I am only reminding you.

श्री झारखंडे राय : मैं इस विधेयक से सम्बन्धित मूल बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कौन इस बिल का विरोध करेगा? लेकिन यह कितना हाफ-हार्टिड मेजर है। 34 साल की आजादी के बाद इस तरह से विधेयक से--हम चींटी की चाल से, कच्छप-गति से क्या होगा?

राव विरेन्द्र सिंह : क्या आप चाहते हैं कि इस बिल को वापस ले लें?

श्री झारखण्डे राय : मेरा यह मतलब नहीं है।

बाद में जब श्री नारायण दत्त तिवारी, जो आज यहां हैं, मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने उन प्रस्तावों के बारे में कहा कि अगर भारत सरकार चाहे, तो वह उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दे। भारत सरकार ने उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार अधिकृत है, वह चाहे तो कर ले। एक दूसरे पर जिम्मेदारी फेंकी जा रही थी, जबकि केन्द्र और प्रदेश में सत्ता एक ही पार्टी की थी। क्या यह बहाने-बाजी है? या भारत की अबोध जनता को मूर्ख बनाना है?

इस पूंजीवादी धृतराष्ट्र-पकड़ से--आप विद्वान हैं, आप जानते हैं कि यह महाभारत में मशहूर है-- मुक्ति का और कोई रास्ता नहीं है सिवा इसके कि हिन्दुस्तान में जितने एकाधिकारी पूंजीपति हैं, चाहे वे किसी क्षेत्र में हों, उनकी पूंजी को सरकार अपने हाथ में ले, इन उद्योगों का संचालन लोक-कल्याणकारी दृष्टिकोण से करे, ताकि कच्चा माल पैदा करने वालों को उचित दाम मिले, मजदूरों तथा कर्मचारियों को उचित मजदूरी और बोनस मिले और तैयार माल सस्ते दाम पर जनता को मुहैया किया जा सके। इस लिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन बुनियादी बातों पर ध्यान दें, और इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल लायें।

उपाध्यक्ष महोदय, न जाने क्यों, आप इमपेशेंट हो रहे हैं। इस विषय पर ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस विषय में अधिक रुचि नहीं है। सेंट्रल हाल में यहां से ज्यादा हाजिरी है। समय की कोई कमी नहीं है।

इस सदन में जनता पार्टी की सरकार के राज्य मंत्री, श्री भानुप्रताप सिंह, ने स्पष्ट ऐलान किया था कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। उसी धारा में खड़े हो कर नानाजी देशमुख ने, जो जनता पार्टी के बहुत बड़े स्तम्भ थे, बाहर कहा कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया

जाएगा : उसी धारा में खड़े हो कर बाला साहब देवरस ने, स्पष्ट घोषणा की थी कि राष्ट्रीयकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है । सरकारें बदल गई, हुक्मरान पुराने की जगह नए हो गए, लेकिन रास्ता, पथ, तरीका और ढर्रा वही है ।

एक माननीय सदस्य : नतीजा भी वही होगा ।

श्री झारखण्डे राय : वही हो रहा है ।

मैं एक बात कहूं कि चीनी मिलों के मालिक हिन्दुस्तान के पूंजीपति लुटेरों ने सब से बड़ी शैतानी की है । ये तिहरा मुनाफ़ा कमाते हैं ।

राय वीरेन्द्र सिंह : वेस्ट बंगाल में कितनी जूट मिलों को नेशनलाइज कर लिया है यह बताइए ।

श्री झारखण्डे राय : वेस्ट बंगाल की बात वहां जा कर ज्योति बसु से पूछिए । हम से आप नही पूछ सकते । यह डाइवर्शनरी जवाब है । इस से काम नहीं चलेगा । इस से आत्म संतोष आप भले ही कर सकते हैं । लेकिन यह पूछना पाछना आप का काम है । मेरी सरकार होती तो मैं बताता । मैं कोई गलती करूं तो मुझसे आप पूछिए, मेरे लड़के से आप क्या पूछेंगे या मेरे स्वर्गीय पिता जी से क्या पूछेंगे ? यह सब तरीका अपने को बचाने का होता है । मैं यह कह रहा हूं कि तिहरी लूट ये करते हैं । कच्चा माल सस्ते से सस्ता किसानों से खरीदते हैं, मजदूरों की मजदूरी मारते हैं, कम देते हैं, बोनस चुराते हैं और जब चीनी तैयारी होती है तो जितना संभव है महंगी से महंगी चीनी बेचते हैं । तिहरी लूट उन की सब से ज्यादा चलती है । मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा । वह बड़ा झंझटी होता है । लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि रेट आफ प्राफिट हिन्दुस्तान में चीनी मिल मालिकों का जितना है उतना रेट आफ प्राफिट और किसी का नहीं है । हमारे सामने माननीय सदस्य बैठे हैं, वह तो परम विद्वान हैं, इन चीजों के माहिर हैं वह बता सकते हैं कि रेट आफ प्राफिट गल्ले के व्यापारियों के बाद अगर भारत में किसी का है तो सब से अधिक तो वह चीनी मिलों के मालिकों का है । इस लिये इन का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए ।

अन्त में मैं मंत्री से कहूंगा कि मंत्री जी आखिर हकीकत क्या है ? जो सरकार 77 के पहले हिन्दुस्तान में थी उस सरकार में इतना दम और खम था कि एक करोड़ जबरिया नसबन्दी करा सकती थी और कराया, इसी सदन में उस के आंकड़े राजनारायण जी ने पेश किए थे जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे कि एक करोड़ जबरिया नसबन्दी कराई गई । तो एक करोड़ जबरिया नसबन्दी कराई जा सकती है लेकिन सौ खान्दान जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं उनकी गर्दन नहीं मरोड़ी जा सकती है ? यह क्या है ? चीनी मिल मालिक तो बहुत छोटे पूंजीपति हैं, बड़े खान्दानों के मुकाबिले उन की क्या बिसात है ? इंदिरा जी ने एक बात एक बार कही थी । वह शब्द मुझे याद हैं जैसे स्टील पर लिखे हुए शब्द होते हैं, एमर्जेंसी के जमाने में किसी सिलसिले में उन्होंने कहा था कि —

There should be political will power. That political will power is being asserted here now.

मैं वही बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण के मामले में आप की पोलिटिकल विल पावर नहीं है । सत्ता और शक्ति की कमी नहीं है । ये देश के मुट्ठी भर

[श्री झारखंडे राय]

पूंजीपति, इन को देश की जनता का आशीर्वाद ले कर कलम की एक नोक से समाप्त कर दें तो कोई चूं कर सकता है ? है किसी में दम ? लेकिन पोलिटिकल विल पावर आप के अन्दर नहीं है, खुद करना नहीं चाहते हैं, आपका निहित स्वार्थ उस में है। आखिरी बात कह कर खत्म करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों की पकड़, हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों का हस्तक्षेप हिन्दुस्तान की राजनीति में कितना जबर्दस्त है ? कौन ऐसा चुनाव हुआ है जब इन के धन ने और इन के पैसे ने उस में दखल नहीं दिया है ? जब राष्ट्रपति गिरि और नीलम संजीव रेड्डी का निर्णायक चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए हुआ था जब सारा हिन्दुस्तान लोक सभा से ले कर गांव गांव तक बंट गया था उस समय भारत के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने क्या करोड़ करोड़ रुपया खर्च नहीं किया था ? जब मोरारजी और इंदिरा जी की लड़ाई हुई थी उस समय क्या बिरला ने करोड़ों रुपये खर्च नहीं किए थे ? 1971 की निर्णायक लड़ाई में जिस में इंदिरा-वेव चली थी जिस ने बड़े बड़े खुर्राट पेड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया था क्या उस में इन का दखल नहीं था ? उस के बाद जो 1977 का युगान्तरकारी चुनाव हुआ क्या उस में इन पैसों ने दखल नहीं दिया था और अभी जो 1980 का चुनाव हुआ क्या उस में उस ने दखल नहीं दिया था ? मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र और जनवाद को इन की चेरी और गुलाम बना कर रखना चाहते हैं तो बनाए रखिए। चाहे चीनी मिल मालिक हों, चाहे जूट मिल मालिक हों, चाहे लोहे की मिलों के टाटा जैसे मालिक हों या किसी भी कंसर्न के हों, उन को बना कर रखिए और प्रजातंत्र, समाजवाद और जनवाद की माला फेरते रहिए। दुनिया को धोखा देते रहिए। और अपने को आत्मप्रवंचित करते रहिए। लेकिन अगर स्वस्थ जनवाद हिन्दुस्तान में कायम करना है, बढ़ाना है और बड़े दम-खम के साथ जो कहा जाता है कि हम अभिनव प्रयोग कर रहे हैं मानव जाति का तो सही बात है हम भी मानते हैं कि इस तरह की डिमोक्रैसी दुनिया में और कहीं भी नहीं है, इसको यदि सफलता की मंजिल तक ले जाना है, सचमुच में स्वस्थ जनवाद बनाना है, कायम करना है, उसको विकसित करना है और एक अभिनव प्रयोग सारे संसार के सामने पेश करना है--चाहे वह कम्युनिस्ट दुनिया हो, चाहे तीसरी दुनिया और चाहे पूंजीवादी दुनिया हो तो उसके लिए आवश्यक है कि इन बड़े बड़े मगरमच्छों घड़ियालों को, इन मौत के सौदागरों को, इन खून के व्यापारियों को खत्म कर दिया जाए। तभी स्वस्थ जनवाद उभरेगा जिस में आप भी जिन्दा रहेंगे और हम भी जिन्दा रहेंगे। जनता का प्यार जिन को मिलेगा वे आयेंगे, उनकी सरकार बनेगी और उनकी नीतियां सामने आयेंगी। मैं चाहता हूं कि इन 36-37 सालों के बाद अब पूंजीवाद को--चार चार सरकारें देख लेने के बाद--दफन किया जाए। अगर वह दफन हो जायगा तो यह जो छोटी छोटी मछलियां हैं--चीनी मिल वाले ये स्वयं समाप्त हो जाएंगे।

अन्त मे मैं इस बिल का विरोध तो नहीं करना चाहता लेकिन इसका समर्थन करने का मन भी नहीं करता है क्योंकि जो काम सरकार को करना चाहिए वह तो वह करती नहीं है और ऐसा लगता है जैसे खिलौने देकर बच्चे को बहलाना चाहती है। इसलिए समझ नहीं पाता मैं इस बिल का समर्थन करूं विरोध करूं या क्या करूं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसकी सीधी मंशा यह है कि जो चीनी मिलें 1978 के एक्ट के द्वारा ले ली गई थीं उनको अधिग्रहण की तीन साल के लिए और बढ़ाया जाए। इस सम्बन्ध में झारखंडे राय जी ने जो कुछ कहा है उस से थोड़ी हद तक मैं भी सहमत हूं क्यों कि जो रुग्ण मिलें हैं, जो तीन साल में ठीक नहीं हुई हैं और आगामी तीन सालों में भी ठीक होने वाली नहीं हैं उनके ऊपर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसकी रिकवरी किस प्रकार से हो पायेगी? जब वह ठीक हो जायेंगी तो आप उन मिलों को मालिकान को सौंप देंगे और मुझे इस में शक है कि वे इस पैसे को वापिस करेंगे। यदि आप उन से यह पैसा लेने की कोशिश करेंगे कि, कोर्ट में जाकर या किन्हीं दूसरे मेजर्स से आबस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं यह ज्यादा अच्छा होता कि एक टैम्पोरेरी मेजर के बजाय आप इन रुग्ण मिलों को स्थायी रूप से सरकारी कन्ट्रोल में लेने की बात करते।

इसके अतिरिक्त यह जो शुगर इण्डस्ट्री है इस में आप कोई यूनिफार्म पालिसी नहीं अपना पा रहे हैं। इस में एक तरफ तो कोआपरेटिज हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट मिलें हैं और तीसरी तरफ सरकारी मिलें हैं अच्छा होता कि एक यूनिफार्म पालिसी अपनाने के लिए आप इस शुगर इण्डस्ट्री को नेशनलाइज कर लेते। जैसा कि सभी जानते हैं आज इस शुगर इण्डस्ट्री में एक विशस सर्किल क्रिएट हो गया है जिसके कारण सरकार की मंशा ठीक तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है।

जितनी प्राइवेट शुगर मिलें हैं उन में पहली बात तो यह है कि वे केन ग्रोअर्स को समय से पैसा नहीं देते। आप ने यद्यपि यह नियम बना रखा है कि मिल के गेट पर 14 दिन के अन्दर किसान का पेमेंट कर दिया जाएगा लेकिन शायद ही कोई मिल ऐसा करती हो। दूसरी बात यह है कि वे ठीक से गन्ने क तोल नहीं करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के एक मन्त्री ने मिल के एक कांटे पर जाकर चेकिंग की थी तो उन्होंने पाया कि एक क्वीटल की जगह पर केवल 120 किलो की तौल आ रही थी। इस तरह से जो बेचारा गरीब केन-ग्रोअर है वह मिल मालिकों के प्रेशर के आगे सकम्ब कर जाता है।

तीसरी बात यह है कि जो प्राइवेट चीनी मिलें हैं वे जिस एरिया में गन्ना पैदा होता है उस एरिया में अपने लाभ को नहीं लगाते हैं। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के हेड आफिस बम्बई और कलकत्ते में खोले गए हैं। शुगर इण्डस्ट्री से जो उनको लाभ होता है उसको वे दूसरी इण्डस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही शुगर फैक्ट्री में जो शोरा वगैरह होता है उसको वे प्राफिट में जोड़ते ही नहीं हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि उनका सारा इंटेंशन ही दूषित है, ठीक नहीं है।

दूसरा निवेदन यह है कि जैसा कि आप वक्त-वक्त पर कहते हैं कि ये दिक्कतें आ रही हैं और प्राइस को यूनिफार्म करने में दिक्कत आती है, तो क्यों नहीं आप केन-डवेलपमेंट को कान्क्रेट लिस्ट

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

में ले आते हैं, ताकि आप यहां से पालिसी को तय कर सकें और स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करें। इस बात से उधर के मित्रों को एतराज हो सकता है और ये कह सकते हैं कि स्टेट्स की आप पावर को कम कर रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में यह एक अच्छा तरीका है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

इसके साथ-साथ आप केन-इण्डस्ट्री को माड्रनाइज नहीं कर पा रहे हैं, जब कि इसका मांड्रनाइजेशन बहुत जरूरी है। इस में प्रोफिट तो है लेकिन प्रोफिट ही प्राफिट कमाया जा रहा है लेकिन इसको नए सिरे से माड्रनाइज करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मिल को आप टेक-ओवर करते हैं, तो प्रान्तों की सरकारों से कहते है कि एक आफिसर दे दीजिए और उनके पास जो आफिसर रद्दी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं कर सकता है, उसको मिल में डैप्यूट कर देते हैं। हम यह चाहते हैं कि आपके पास इन्डस्ट्रीज काफी बढ़ गई है, तो क्यों नहीं आप एक अच्छा कैडर इस काम के लिए बनाते हैं, जिसको अच्छी मनेजमेंटशिप का ज्ञान हो और इस बात के लिए कमिटेड हो, उसको इस काम पर लगाया जा सके। मैं समझता हूं कि जहां पर इस बिल की मंशा का सब लोग स्वागत करेंगे वहीं पर इस विषय पर जो शंकाएं हैं, उन को दूर करने के लिए मंत्री जी को कारगर कदम उठाना चाहिए। आप किसान हैं, यदि आप ही ऐसा नहीं कर सके और जब कोई दूसरा व्यक्ति आयेगा, तो वह भी नहीं करेगा। जहां तक राय साहब का सवाल है, जैसी कि उन्होंने हमारी पोलिटिकल विल पर शंका प्रकट की है, मैं उन से कहना चाहता हूं कि वह हमारी पोलिटिकल विल थी कि आप 1971 में आपकी पार्टी हमारा पल्ला पकड़ कर के यहां पर सदन में आई और अब फिर अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए आपको इंदिरा वाली पोलिटिकल विल के पीछे खड़ा रहना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी सदन में लाए हैं, इसको समर्थन देना मैं अपना एक कर्त्तव्य समझ रहा हूं। लेकिन माननीय मंत्री ने यह एक प्रकार का जाल सामने लाकर बिछा दिया है, जिसमें कि फंसना हर व्यक्ति के लिए एक प्रकार की मजबूरी हो गई है। जो करना चाहिए, वह यह सरकार नहीं करना चाहती है, आज से नहीं पिछले कई वर्षों से और तमाम दलों के लोगों के द्वारा मजदूरों के द्वारा, जनता के विभिन्न अंगों के द्वारा इस बात की मांग की गई है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है और मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बात पर, जब वे अपना जवाब दें, प्रकाश डालें;

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण न होना यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बन गया है। जहां तक इसमें मिल-मालिकों का सवाल है यह मिल-मालिक शोषण की प्रक्रिया में पूरे तरीके से जुटे हुए हैं। देश की

जनता का शोषण कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और इसके साथ-साथ सरकार का भी शोषण कर रहे हैं, लेकिन अपना शोषण आप इसलिए नहीं कह सकते हैं कि सरकार देश की जनता के द्वारा बनती है। जो धन व ले रहे हैं, वह देश के खजाने से जा रहा है देश के बैंकों से जा रहा है। सरकार का किसी एक व्यक्ति विशेष या सरकार में जो 10–20 लोग रहते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से नुकसान कोई नहीं हो रहा है लेकिन पूरे देश और जनता का नुकसान हो रहा है इसलिए उनका भी नुकसान हो रहा है। वजह यह है कि पैसा देश के खजाने से लिया जाता है और उसकी लूट की जाती है और उसका जो प्रतिफल निकलता है वह नहीं के बराबर होता है।

इन कारखानों का अधिग्रहण कब किया जाता है: जब कारखाने में मजदूरों का पैसा बकाया रह जाता है जब किसानों का पैसा नहीं दिया जाता है जब उत्पादन घट जाता है जब मशीनों का आधुनिकीकरण नहीं किया जाता है जब कारखाने के ऊपर तमाम कर्जा लद जाता है—य सब परिस्थितियां हैं जब सरकार उस कारखाने का अधिग्रहण कुछ वर्षों के लिए कर देती है। जब सरकार सब परिस्थितियां ठीक कर देती हैं यानी मजदूरों का बकाया दे दिया जाता है किसानों का बकाया दे दिया जाता है मिलों का आधुनिकीकरण कर दिया जाता है कर्जा जो बैंकों से लिया गया होता है वह चुका दिया जाता है तब सरकार उसे फिर पूंजीपतियों को वापिस कर देती है। इस का मतलब यह है कि पूंजीपतियो को ही हर तरीके से सुविधा देने के लिए सरकार का इरादा है तो मैं कहना चाहता हू कि इस तरह के मेजर्स क्यों लाते हैं? इसको किसी भी कीमत पर पुन: वापस नहीं करना चाहिये। जब एक बार उन से ले लिया गया, तो वह सरकारी नियंत्रण में रखना चाहिय। लेकिन एसा नहीं होता है, इस से देश की जनता पर और अधिक बोझ पड़ता है, देश की जनता का शोषण की जो प्रतिक्रिया चल रही है वह तीव्र होती है, देश के खजाने का पसा पूंजीपतियों की जेब में जाता है। इस लिये एसी व्यवस्था बन्द कर के जिस चीनी मिल का आप अधिग्रहण कर रहे हैं, उसे हमेशा के लिये सरकारी नियन्त्रण में रखिय।

उदाहरण के लिये हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खास तौर से गोरखपुर और देवरिया जिलों में, चीनी की बहुत सी मिलें हैं। इस में से ज्यादातर मिलें पहले से पूंजीपतियों की थीं, लेकिन कुछ मिलों में जब इस प्रकार की समस्या पैदा हुई, जिन को मैंने पहले बतलाया है, उन चीनी मिलों का सरकार ने कुछ वर्षों के लिये अधिग्रहण कर लिया। जैसे मेरे यहां एक "घुघली चीनी मिल" है, उस की स्थिति यह है कि आज से तीन साल पहले किसानों और मजदूरों ने बहुत बड़ा आन्दोलन किया, क्योंकि उस मिल की तरफ उनका बहुत पैसा बकाया था और वह उद्योगपति, जिस का वह कारखाना था, उन का पसा नहीं दे रहा था। मिल भी पुरानी हो गई थी, खराब हालत में थी। सरकार ने उस मिल को ले लिया। सभी किसानों और मजदूरों का पैसा दिया गया, लेकिन उस मिल की स्थिति अततः पूरी तरह से सुधर नहीं सकी। आज फिर यह हालत हो गई है कि वहां पर किसानों और मजदूरों का बहुत अधिक मात्रा में पैसा बकाया है, सरकार दे नहीं पा रही है। वहां पर जो रिसीवर बैठाया गया है, ज्यादातर यह होता है कि हर रिसीवर भ्रष्टाचार में लगा रहता है, कारखाने के आधुनिकीकरण

[श्री हरिकेश बहादुर]

के लिये सामान खरीदा जाता है, उस में पैसा लूटा जाता है, एप्वाइन्टमेंट्स में पक्षपात और भ्रष्टाचार किया जाता है ये सारी चीजें वहां होती हैं --

राव वीरेन्द्र सिंह : किस की मिल है ? किस ने टेक ओवर किया हुआ है ?

श्री हरिकेश बहादुर : केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में नहीं है, प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन सरकार के नियंत्रण में है।

हमारे यहां देवरिया में एक चीनी मिल है जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है, उस के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ फैक्ट्स इकट्ठे कर रहा हूं और बाद में मंत्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से मिल कर बतलाऊंगा कि वहां पर क्या गड़बड़ है। दिक्कत यह है कि अभी अगर कुछ बतलाऊंगा तो दूसरे लोग आ कर कह सकते हैं कि वह ठीक नहीं है, लेकिन इस के लिए आप को अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इस समय जो मैं बतला रहा हूं वह केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में मिलों पर भी लागू होता है। घुघली मिल पर किसानों और मजदूरों का काफी पैसा बकाया है और मिल का भी पूरी तरह से आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है। वहां मजदूर और किसान फिर से आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने चेतावनी भी दी है और मैं भी उन की मांगों का समर्थन करता हूं क्योंकि अगर उन को उन का बकाया पैसा नहीं दिया जायगा तो उन का काम कैसे चलेगा, किसान अपनी खेती-बाड़ी का काम कैसे करेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिन पुरानी मिलों को ले लिया जाता है उन का फौरन हमेशा के लिये अधिग्रहण कर लेना चाहिये, एक प्रकार से उन का राष्ट्रीकरण कर लेना चाहिये।

आखिरी बात--यदि किसानों का शोषण इसी तरह से होता रहा तो जो किसान अपना गन्ना ला कर मिलों को देते हैं, उन चीनी मिलों की उत्पादन की समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकेगा। इस लिये सरकार को यह देखना चाहिये कि किसानों को उन के गन्ने का उचित मूल्य दिया जाय। उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गन्ने का पैसा घटा दिया गया है, यदि इसी तरह से चलता रहा तो किसान को हतोत्साहित होना पड़ेगा, उस का गन्ने के उत्पादन पर असर पड़ेगा और अन्तत: उस का चीनी के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। इस लिये मेरा अनुरोध है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाय और जिन मिलों की तरफ, कम से कम जो सरकारी नियंत्रण में हैं, उन मिलों में जिन किसानों का पैसा बकाया है उस का तत्काल भुगतान कराया जाय, साथ-साथ मजदूरों की बकाया धनराशि का भुगतान कराया जाय, जिन को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 का और संशोधन करने वाला विधेयक पेश किया है, उस की मंशा यही है कि आम जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए और मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। यह एक मामूली सा संशोधन है, जिस को मान लेना चाहिए।

हमारे देश के प्रमुख उद्योगों में चीनी उद्योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में यह उद्योग काफी विस्तृत है और यदि मैं यह कहूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार चीनी उद्योग की जननी रही है, तो इस में कोई प्रतिशयोक्ति नहीं होगी।

1930 के दशक में हमारे देश में जितना चीनी का उत्पादन होता था, उस का 21 पर सेन्ट उत्तर प्रदेश में और 40 पर सेन्ट बिहार में होता था। कुल मिला कर 1930 के दशक में सम्पूर्ण देश में जो चीनी का उत्पादन होता था, उस का लगभग 70 प्रतिशत हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन होता था परन्तु आज स्थिति हमारी यह हो गई है कि 1959 से 1970 और 1969 से 1980 के बीच में चीनी मिलों की संख्या 215 से 303 लगभग बढ़ गई लेकिन गन्ने की पिराई 215 लाख टन से घट कर 1.33 लाख टन हो गई है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है। मेरे पास पूरे आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन अखबारों में जो देखने को मिलता है जहां तहां जो मेगजीन में पढ़ती हूं, उस के आधार पर मैं यह कह सकती हूं कि हमारे देश में 113 से 130 तक ऐसी चीनी की मिलें हैं, जिन का उत्पादन उन की क्षमता से काफी नीचे है। ऐसी मिलें बिहार में 28 और उत्तर प्रदेश में 37 हैं और उन में जितनी उन की क्षमता है, उस से काफी नीचे उन का उत्पादन है। हमारे मंत्री महोदय खुद किसान हैं और वे किसानों की व्यथा को अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि जो खुद किसान हैं वह जानता है कि किसानों की क्या क्या कठिनाइयां होती हैं। तकरीबन दो वर्ष पहले जो चीनी का उत्पादन हुआ था, वह काफी हुआ था। 1975-76 में जब हमारी सरकार थी, उस समय काफी अनुशासन आ गया था और उस समय से उत्पादन की क्षमता बढ़ने लगी जिसका प्रभाव कुछ दिनों तक और रहा और दो वर्ष पहले हमारे यहां अभूतपूर्व चीनी का उत्पादन हुआ, तकरीबन 64.6 लाख टन। 1975 में 9.77 लाख टन चीनी का निर्यात हुआ, जिस से 440 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हमने अर्जित की थी। चीनी उद्योग को हमारे देश में गौरव प्राप्त हो सकता है और इस के लिये हमारे मंत्री महोदय प्रयत्नशील हैं और यदि ये इसी तरह से प्रयत्न करते गये, चेष्टा करते गये, तो हमें जरूर सफलता मिलेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे देश में चीनी के उद्योग को गौरव प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आज जो स्थिति है, उस में 100 करोड़ रुपये की चीनी हमें आयात करनी पड़ रही है और हमारी चीनी की जो आवश्यकता है वह बढ़ती आबादी के अनुपात में पूरा नहीं कर पा रहा है। लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है और उस के अनुसार हम चीनी आम जनता में उन की आवश्यकता के अनुसार नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारी सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है लेकिन कहां तक लोगों को चीनी मिल सकती है और चीनी के उद्योग में लगे हुए हमारे जो किसान भाई हैं, उन को कहां तक लाभ पहुंचा सकते हैं, यह देखने की बात है। 300 करोड़ रुपये की क्षति हमारे देश में प्रत्येक वर्ष इस कारण हो रही है कि जितनी क्षमता मिलों की है, उतना वे उत्पादन नहीं कर रही हैं। इस के अलावा 45 करोड़ रुपये जो हमें एक्साइज, लेवी और अन्य स्रोतों से राजस्व प्राप्त हो सकता था, उस का भी घाटा उठाना पड़ता है। अगर ये चीजें ठीक हो जायें, तो इस से हमारे देश की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मंत्री महोदय से मैं कहना चाहती हूं कि वे तो कृषि क्षेत्र के रहने वाले हैं और उन्हें ग्रास रूट लेवल से खेती की अच्छी तरह से जानकारी है और इस से उन का सीधा लगाव है। जब तक हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तब तक प्रभावी ढंग से हमारे चीनी उद्योग भी नहीं बढ़ेंगे। यह बात मंत्री महोदय जानते हैं क्योंकि उन्हें कृषकों की पीड़ा का पता है।

मैं बिहार के खास कर के उत्तरी बिहार के बारे में कहना चाहती हूं। वहां पर जो चीनी उद्योग हैं उन को आधुनिक ढंग से, तकनीकी ढंग से आगे बढ़ाने में हमारे लोग लगे हुए हैं

[श्रीमती कृष्णा साही]

लेकिन उन को न सिंचाई की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। इस से हमारा इकोनोमिक ग्रोथ सफर करता है और फिर ग्रामों की अर्थ व्यवस्था भी आगे नहीं बढ़ पाती है।

आजकल हमारी खेती प्रकृति पर निर्भर करती है। कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ता है। इन की चपेट में हमारे किसान परेशान रहते हैं और वे अपनी खेती का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज को हमें बड़ी द्रुत गति से बढ़ाना चाहिए जिस से कि ग्रामीण अपना विकास करने में सक्षम हो सकें और अर्थ व्यवस्था को हम रास्ते पर ला सकें।

हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश की अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती। हमारे यहां गरीबी बढ़ रही है क्योंकि आबादी बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान समय में उत्पादन बढ़ाने के सिवाय दूसरा कोई हमारे पास जरिया नहीं है।

मंत्री महोदय ने जो संशोधन प्रतिस्थापित किया है उस का मैं समर्थन करती हूं और मंत्री महोदय को इस के लिए धन्यवाद भी देती हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं चीनी उद्योग में लगे हुए किसानों और चीनी उद्योग की तरफ ध्यान देने के लिए उन से आग्रह करती हूं। अगर इस तरफ पूरा ध्यान दिया गया तो हमारी अर्थ व्यवस्था बहुत आगे बढ़ जाएगी और री रीजनल इम्बेलेंस है उस को दूर करने में भी हम बहुत हद तक सक्षम हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करती हूं।

*SHRI N. SELVARAJU (Tiruchirappali): Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, extending my support on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam to the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Amendment Bill, I wish to make a few observations.

At the very outset, I would like to point that the Centre seems to be functioning under the impression that all the sugar mills are located only in North India and they produce the entire sugar requirement of the country. I would like to point out that there are sugar mills in Tamil Nadu and substantial quantities of sugar are also produced in these sugar mills. It need not be stressed that sugarcane cultivation is also substantial in Tamilnadu. I am compelled to speak in this strain because the Centre is impervious to the prevalence of varying sugarcane prices in the North and in the South. I take this opportunity to demand that the Centre should fix uniform price for sugarcane throughout the country. Then only the cane cultivators will be done justice by the Government of India.

There are 303 sugar mills in the country, out of which 138 mills are joint stock companies, 137 in the cooperative sector and 28 in the State sector. The sugar mills in the cooperative sector are being managed efficiently and this is seen from the fact that 52 per cent of sugar production comes from the cooperative sector. The sugar mills in the cooperative sector also ensure that fair and remunerative price is given to the cane cultivators and that money is given to them on time. There is no complaint from the cane cultivators about arrears of payment from the sugar mills in the cooperative sector. I demand that hereafter the sugar mills should be licensed only in the cooperative sector. If that is not found practicable, then the new

*The Original Speach was delivered in Tamil.

mills can be started in the State sector. I urge upon the Government that no licence should be given to the private sector for starting a sugar mill. I will substantiate my contention by referring to the fact that the Kothar Sugar Mill owners in my district have paid Rs. 190 per tonne to the cultivators, while the other sugar mill in the State sector, being run with the central assistance, has paid Rs. 201 per tonne. The private sector mill has paid Rs. 10 less per tonne of sugar. In these circumstances, I would like to reiterate that new sugar mills should be licensed either in the cooperative sector or in the State sector.

As the sick textile mils are being taken over by the Central Government, sick sugar mills should also be taken over by the Central Government. If that is not feasible in all cases, then the State Governments may be empowered to take over such sick textile mills. In my constituency, the Rattavaithalai sugar mill was taken over by the State Government. It is being run with the assistance from the Centre. Of late, the people are apprehensive that this might be handed over again to the erstwhile owners. I take this opportunity to demand that it should continue to be managed by the State and not handed over to the erstwhile owners.

Here, I would point out that 65 per cent of sugar production is allotted to levy-sugar area and 35 per cent to free-sugar area. There is a persistent demand for decontrol of sugar and also for allotting more to free-sugar area. I suggest that this should not be done. With 35 per cent of production, they are able to manipulate market price of sugar and they are selling even at Rs. 15 per kg of sugar in some places. They have no compunction in fleecing the consumers. I urge upon the hon. Minister not to succumb to such pressures from the sugarmill owners. In fact there is need for reducing the quota of free-sugar.

The Centre has fixed Rs. 130 per tonne. This was the price paid to the growers last year. It cannot be denied that production costs have gone up manifold times this year. The cost of inputs like electricity, fertilizer, wages etc. have all gone up. The Central Government knows about this spiralling prices, which has led to frequent increases in the dearness allowance to its employees. The cost of living index is common to the cultivators also. In these circumstances, there is every justification for increasing the price of cane to the growers. The cane-growers are not living in an island of their own. They are subjected to price increases of their inputs and also to increases in their cost of living It is in fact gross injustice being perpetrated on the cane growers if last year's cane price is given this year also. The hon. Minister who is himself an agriculturists should do justice to his own kith and kin in agriculture. He should not hesitate to increase the cane price which should be in conformity with the general price index.

The Government of Tamil Nadu did constitute a Committee to go into the entire gamut of cane cultivation in the State. The Committee toured the State and met the cane-growers. After making an in-depth study and after a thorough appraisal of the whole problem, the Committee has recommended Rs. 210 per tonne. This report has been submitted quite some time back. The harvesting season has set in and yet the Government of Tamilnadu has not fixed the cane price. It is common knowledge that the AIADMK Government is callous to the interests of peasants. It is no exaggeration to say that the peasants are the enemies to the State Government of Tamilnadu. The State Government feel that if the peasants get remunerative prices they will have the upper hand over the Government. I have no hesitation in saying that the AIADMK Government has not announced the cane price yet because it does not matter much to the State Government if the cane-growers are decimated. Last year for 8.5 recovery the Government announced

[Shri N. Selvaraju]

the price of Rs. 175 per tonne. At least that price could be announced now. There seems to be reluctance on the part of the State Government even to announce that price. I demand that the Central Government should intervene in this matter and come to the rescue to canegrowers in Tamilnadu. It should be ensured that they should get at least last year's price, if not more.

The three sugar mills in Thanjavur, Ulundurpet and Perambalur are being managed by the Tamilnadu Sugar Corporation. It is unfortunate that almost all the Directors on the Boards of Managements of these 3 Mills are bureaucrats and sugar industry magnates. There is no representation of cane-growers and other cultivators, who became shareholders of these mills after taking loan from the nationalised banks. They had appended their signatures on blind papers because they were very keen to have these sugar mills in their area. I submit that the Centre should intervene in this matter also and ensure that the canegrowers and culivators, who are shareholders of these sugar companies, are given representation on the Boards of Managements of these sugar mills.

In Alanganallur, Madurai District, the sugar mill is being run by the State Government with central assistance. It is unfortunate that every year Rs. 15 per acre is taken from the canegrower and this is never returned to the grower. The Central Government should direct the State Government to refund the entire sum collected in such an unauthorised manner.

As they were not getting proper remunerative prices for paddy, the cultivators took to the cultivation of commercial crops like sugarane. For the commercial crop like sugarcane also, if the peasants are denied remunerative prices, then there is no redemption for the cultivators in our country. The Government of India should ensure that the cultivators get remunerative price to sugarcane; otherwise the cultivators will not be able to make both ends meet. If they suffer for their livelihood, than the national economy is in jeopardy. I am sure that our Agriculture Minister will do justice to them.

With these words I resume my seat.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Sir, I rise to support the Bill which is under consideration. But, while doing so, the House should know that unless the Government makes the sugar policy clear and firm, particularly in regard to the subject for which the Bill has been brought forward, there is a possibility of some hindrance in this work.

Here I want to draw the attention of the House to the fact that of late the Industries Minister of he Union Government has declared that unless the sick units, which have been taken over by the Government under one measure or another, could be made viable they will be handed over to the former owners. This is the policy thrust of the Government of India in regard to sick industries. I feel that the hon. Minister should make his position clear in the background of this policy statement of the Industries Minister of the Government.

These eight mills were taken over by the Government under the provisions of this Bill. Now the Government propose to extend the period by another three years. In case during these three years these sick units are not made viable, what would be the position of the Government of India in that respect? If the statement of the Industries Minister holds good, if these mills are not made viable within three years, they are likely to be handed over to the former owners.

Therefore, I would have been happy if the Government had straightway taken permanant possession of the management and ownership of these eight mills. This is the basic weak-

ness or lacuna of this Bill. While I support the Bill, I do not like these units to go back to the original owners, because of whose folly these mills have become sick. It is not a question of mere take over of 8 units; it relates to the entire sugar policy of the Government of India. Therefore, while I do not like to bring in all other matters under discussion, certain things should be discussed and pointed out to the hon. Minister.

For instance, take the question of determination of cost in the sugar industry. Molasses is one of the bi-products of the sugar mills. While calculating the ex-factory cost of sugar, we have to take into account those items which are produced but of molasses like industrial and other alcohol and the profit earned by their sale. Now they are not taken into account by Government while determining the ex-factory cost of sugar. This is one of the main reasons for which the consumers are not in a position to get cheaper sugar and the sugar mill owners carry on increasing their profit. I think the hon. Minister should tell the House as to whether he has got any proposal or measure to see that those profits earned by way of increase in the price of sugar are also taken into account for determining the ex-factory price of sugar.

The question comes regarding the sugar price. This morning the hon. Minister in the course of his reply to a question agreed that the total availability in 1980-81 sugar year amounted to 60.39 lakh tonnes. And from that very question it is evident that consumption of sugar is around 52 to 53 lakh tonnes and therefore, there is surplus so far as quantity of sugar availability for this year is concerned and also so far as consumption of sugar is concerned. But the price is increasing. I would only ask the hon. Minister whether he is prepared to see that the levy sugar quota is further increased so that the public distribution system can be further strengthened and the price in the market is brought down which can be within the purchasing capacity of the people. He can assure the House about this simple thing.

My next point is regarding the minimum price for cane. Today he has made a statement saying that the Government does not propose to increase the price of the sugarcane. And this is what he has said in his words: "Yes, Sir, in so far as it relates to a recovery of 8.5 per cent the cane price remains unchanged." And I think he proposes to keep it also unchanged.

You know that the cost of input for the sugarcane cultivation has increased, he cannot deny it, and there is an agitation current in different parts of Uttar Pradesh and Bihar for the increase in the sugarcane price. May I know from the hon. Minister whether in view of the increase in the cost of inputs for agricultural operations, the Government consider that the minimum support price for sugarcane would be increased for the ensuing sugar season. This is very necessary for us to know.

Lastly, the question of nationalisation is there. I have been unburdened by my various friends like Shri Jharkhande Rai on this. Your Party's Government in Uttar Pradesh, that is, the Uttar Pradesh State Government was at one time committed to take over or nationalise the sugar industry. Why are you going back upon your commitment? The hon. Minister, of course, mentioned to me through a question: "Why West Bengal Government is not doing?" I think he is quite aware of the fact about the constitutional limitations. Can a State Legislature take over the ownership of any big business house? It cannot. Therefore, he as per his own habit does not miss an opportunity to throw a question to us to denigrate us or create confusion among us. I throw him this question—would he agree to change the Constitution of the country so that States are given more powers to take over the management and ownership

[Shri Chitta Basu]

of the industries in all States. I do not mean only in West Bengal. I am also asking for your State also. Do you agree? You cannot agree. Therefore, I am not raising that question. But in so far as sugar industry is concerned the Government of India was committed for nationalisation. Why are you going back upon that commitment? That point has been elaborately discussed and I do not find it necessary to di-late upon that subject. Therefore, it is necessary that he should also make his Government's position clear with regard to the very important question of nationalisation of sugar industry in the country so that sugar industry itself can be further modernised. Peasants can be given remunerative prices and rural industry can be developed.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से विधेयक में—

"for the words "three years", occurring in the proviso, the words "six years" shall be substituted."

मैं यह जानना चाहता था कि 3 साल के दरम्यान में कितनी पूंजी का सरकार की तरफ से इन्वैस्टमेंट हो चुका है और उस के बाद आज उन की आर्थिक हालत कैसी है और कितना धन आप ने इस से कमाया है, या अभी भी हम लोग घाटे में हैं ?

सवाल यह है कि 3 साल की जगह 6 साल कर दिया जाये, यह 3 साल का पीरियड क्यों मांगा गया है ?

मैं यह कहना चाहता था कि सार्वजनिक जितने उद्योग हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्ज, उस में केवल 5, 10 परसट के अलावा ऐसे उद्योगों में आज घाटा होता है । मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने एक नीति निर्धारित करी है लेकिन कांग्रेस की नीति, मिक्स्ड इकनामी, हम यह नहीं चाहते कि सारे उद्योगों का सरकारीकरण कर लिया जाये, सब जगह सरकारी आदमी बैठ जायें तो हम को घाटा ही घाटा होता रहे । आज दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन है, दिल्ली में जो परिवहन चलते हैं, उस में आज करोड़ों रुपये का घाटा है ।

माननीय मंत्री जी एक छोटा सा बिल लाये हैं, उन्होंने उस में अपनी छोटी सी इंट्रोडक्टरी स्पीच दी है । मैं यह जानना चाहता था कि पिछले 3 साल में कितनी जी लगा पूंजी है और 3 वर्ष और क्यों चाहते हैं ? क्या उन्होंने टाइम फिक्स कर लिया है कि उन दिनों में यह मिलें सक्षम हो जायेंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो जायेंगी । मैं यह मानता हूं कि शुगर का हजारों, करोड़ों रुपये अभी तक काश्तकारों के बकाया हैं । जिन्होंने शुगर के पैसे देने हैं, उसके लिये कानून बन चुका है, कि उन का चालान किया जायेगा, उनका प्रासीक्यूशन किया जायेगा । क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आज तक किन का प्रासीक्यूशन किया गया और किन का चालान किया गया और किन को सजा हुई ?

एक्ट बना हुआ है, आज भी यू० पी० और बिहार में कई मिलों ने पेमेंट प्रोग्रर्स को नहीं किया है । कानून बन गया है कि उसका पेमेंट करवाया जाये और अगर नहीं किया तो उस का चालान करवाया जाये। आप बताइये कि इस का क्या कारण है ?

हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि जो मिलें चलती हैं, उस में भी हमारे मजदूरों को भागीदार होना चाहिये, उन का भी एक हिस्सा मैनेजमेंट में होना चाहिये । सरकार ने जिन मिलों का अधिग्रहण कर लिया है, क्या उन में मजदूरों को भागीदार बना दिया गया है ? कृषि मंत्री बतायें कि वह तीन साल का पीरियड क्यों मांग रहे हैं और क्या तीन साल के बाद वह फिर अवधि को बढ़ाने के लिए नहीं कहेंगे ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो छोटा सा संशोधन लाया गया है, इस के कारणों और उद्देश्यों का मंत्री महोदय ने कहीं ज़िक्र नहीं किया है। इस के पीछे सरकार की धारणा क्या है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : बिल पढ़ कर देख लीजिए। उसमें लिखा हुआ है ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : इस में नहीं लिखा है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) : हम क्यों पढ़ें ?

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : श्री डागा ने भी पूछा है कि सरकार ने जिन आठ शूगर मिलों का अधिग्रहण किया है, उन से कितना लाभ हुआ है, अगर नहीं हुआ है, तो फिर तीन वर्ष और क्यों बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने के पीछे क्या राज है ? अगर उन से लाभ हो रहा हो, तो सरकार उन का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर लेती। क्या वह इस अवधि को बढ़ा कर अधिकारी-वन्द के हितों को सुरक्षित करना चाहती है, जो वहां बाक्स के रूप में बैठे हुए हैं और घाटे का बिजिनेस चला रहे हैं ? देश में जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्ज हैं, वे प्रायः सब घाटे में चल रही हैं। लेकिन बिहार में टाटा की इंडस्ट्रीज भी है, टेलको और कई अन्य इंडस्ट्रीज हैं। वे गवर्नमेंट की तुलना में कम वेतन नहीं देती हैं। इस के बावजूद वे लाभ में क्यों चलती हैं ? इसका कारण यह है कि सरकार अपने ब्युरोक्रेट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, जो इन उद्यागों को अपना प्राईवेट एन्टरप्राइज समझकर चलाते हैं। अगर सरकार बराबर ध्यान दे, निरीक्षण करे और अधिकारियों पर जिम्मेदारी फिक्स करे, तो उन सार्वजनिक उद्योगों में भी लाभ हो सकता है। लेकिन सरकार की लापरवाही ही एक जबर्दस्त कारण है, जिस से घाटा हो रहा है।

चीनी का उद्योग आज देश में एक सिक इंडस्ट्री के रूप में चल रहा है। चीनी मिलों की जो क्षमता है, उस के अनुसार काम कर के वे देश की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकती हैं। लेकिन सरकार इस ओर विशेष ध्यान नहीं देती और लगातार दाम बढ़ाती जा रही है। आज सारे देश में चीनी का मसला पैदा हो गया है और सब तरफ सरकार की नीति की आलोचना हो रही है। चीनी 15 रुपये और 18 रुपये किलो भी बिकती रही है। इसके लिए सरकार की नीति जिम्मेदार है। ड्यूअल प्राइस पालिसी के अंतर्गत लेवी शूगर और ओपन मार्केट के दामों में ढाई तीन रुपये का डिफरेंस रहता है, जिससे भ्रष्टाचार की बड़ी गुंजाइश रहती है। यही कारण है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सब चीनी ब्लैक में चली जाती है। इसमें अधिकारी-वृंद में, मिनिस्टर से ले कर नीचे तक भ्रष्टाचार का व्यापार चल रहा है। अगर ड्युअल प्राइस पालिसी को समाप्त कर दिया जाए और लेवी शूगर तथा ओपन मार्केट की शूगर के दाम एक रखे जाएं, या केवल पचास साठ पैसे का डिफरेंस हो, तो चीनी की महंगाई और सारा भ्रष्टाचार समाप्त किए जा सकते हैं। लेकिन सरकार जान-बूझकर भ्रष्टाचारियों को अवसर देती है और अफसरों को भ्रष्ट बनाती है। इस लिए सरकार ही इस बारे में पूरी तरह दोषी है।

जहां तक किसानों का संबंध है, उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और खाद, डीजल तथा पंपिंग सेट आदि बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उचित दाम नहीं मिलते हैं। शूगर मिलों के बोर्डों में किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है।

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि कितनी लागत इस में आई हैं, कितना लाभ हुआ है और उस के हिसाब से किसानों को उस का उचित मूल्य मिलना चाहिए। सरकार को इस दिशा में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। अगर सरकार इस तरह से करती है तो यह किसानों के लिए भी लाभकारी होगा।

सारे देश में यह चीनी का जो उद्योग है यह बहुत ही लाभदायक है। इस से किसानों को भी फायदा होता है और देश की आवश्यकता की पूर्ति भी होती है। इसीलिए इस में सरकार को पूरी दक्षता बरतनी चाहिए। इस तरह से मिलों में जो किसानों को कम दाम दिया जाता है उस को दूर करना चाहिए और डयुअल पालिसी को खत्म करना चाहिए। यह 6 वर्ष जो बढ़ा रहे हैं इस के पीछे जो राजनीति है उसे माननीय मंत्री जी कृपा कर के बताएं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Subramaniam Swamy.

SHRI CHITTA BASU: He had publicly promised that he will give us sugar at the rate of Rs. 1.30 p. per kg. Let us hear from him how he can give it.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the scope of the Bill is very limited. But clearly this is an opportunity for us to try and make the hon. Minister and the Government see some sense in trying to improve their otherwise miserable performance.

I would like the hon. Minister to read the Estimates Committee Report which has come out only a few months ago on the question of sugar management, sugar industry. The fact of the matter is that most of the units in north India particularly, have outdated, obsolete, depreciated equipment. It requires to be modernised. If the Government were to undertake some major steps s provide funds *via* loans or otherwise, if these sugar industries particularly in North India could get themselves modernised and the crushing capacity could be brought to a level of 2000 tonnes of sugarcane, if these steps are taken, then the kind of problems that are arising in terms of sickness will not arise. So, I would request the hon. Minister to have a close look at the Estimates Committee Report on the subject.

As Mr. Chitta Basu has taken this opportunity to say a few words about the sugar policy, I would also like to take this opportunity and, I hope, the hon. Minister will give us a reply so that the people at large know why this gross-mismanagement in sugar is taking place. The first and the most important thing which I find dificult to explain is, while the production of sugar has gone up considerably, as he has himself given a reply in Parliament, the price of sugar has also gone up. To reduction of sugar in the last season was something like 25 per cent more than that of in the previous season. And yet the price of sugar is close to 50 per cent more than what it was in the previous season.

I know for a fact that during the Janata-rule, even at the worst end of the Janata rule, when Chaudhuri Charan Singh was the Finance Minister, the price of sugar was not more than Rs. 3.00 per kg.

RAO BIRENDRA SINGH: No, no.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I am talking of July, 1979. Rs. 3.00 per kg. was the price of sugar. Everybody knows that. One has to go just out in the public and talk to them.

RAO BIRENDRA SINGH: Why did you revert to dual price policy then?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I am coming to that.

At that time, the production of sugar was something like 38 lakh tonnes or 39 lakh tonnes. The production of sugar has now gone up. But the price of sugar in the open market is close to Rs. 6.00 per kg. If you take into account the issue price, it means roughly about 50 per cent more. The price of sugar is 50 per cent more now when the production is also more. This is a new kind of economics, that is when the production rises, the prices also rise. The law of economics is that when there is more production, there is less price. But under Indira Congress rule the law of economics has been turned upside down the production is rising and the prices are also rising.

The hon. Minister says, "We want to pay a remunerative price to the farmer.' Now, during the Janata rule, the price of fertiliser was Rs. 74.00 per bag. Today, it is Rs. 125.00 per bag. But you cannot get it at Rs. 125.00 per bag. You have to pay commission and all that. Then only you get it. The normal price of fertiliser is Rs. 160.00 per bag if you want to get it without delay. Now, when the prices of inputs were so low, the Janata Government was paying the farmers adequately.

What was happening was that the sugar managements were sympthetic to them and, as a consequence, they refused to buy from the farmers. Before we came to power, they were earning 200 per cent profit in poduction of sugar. But during our rule, we abolished this dual pricing system and this levy sugar and non-levy sugar business and, therefore, the profit earned by sugar managements dropped from 200 per cent pre 77 down to only about 15—20 per cent which is the normal rate of profit. Naturally they became very unhappy and they found good allies in them and they joined with them. What more they did, I need not go into it.

PROF. N. G. RANGA: (Guntur): Sugarcane prices fell.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: How sugar cane prices fell? Where?

PROF. N. G. RANGA: Everywhere.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: During Janata rule, the minimum support price of Rs. 12/- per quintal was adequate to cover cost of production considering the price of fertiliser was low, the price of deasel was stable and the prices of all the inputs were low and, therefore, it was only the mischief of the sugar managements which was responsible for the crisis that developed. Of course, I think that if we were to do it again, we would have buffer stock policy.

SHRI RAO BIRENDRA SINGH: During next elections.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Certainly. Next elections. One who laughs last has the best laugh.

Anyway, we should have a buffer stock policy. Nevertheless, I say today. ....

MR. DEPUTY SPEAKER: At least, you would become a Minister if your Party wins.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: No. why do you underrate me? I would become a Prime Minister. When we do visualise why should we not do it at the top?

MR. DEPUTY SPEAKER: I am happy that you belong to South India.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: It is time that power shifted from North India to South India. North India made a mess of Government.

Therefore, I would say that the Minister must give serious thought to this subject and not get into the web of the stranglehold of the sugar industry and see that the farmers get their due. If the price of sugar is Rs. 6/- per kg. in the market, why don't it transmit itself back to farmers. How

[Dr. Subramaniam Swamy]

much are the farmers getting? Rs. 22 per quintal, as compared to Rs. 3 previously.

SHRI RAO BIRENDRA SINGH: They never got Rs. 3. They got Rs. 12 during Janata rule.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Anyway, mathematics is not a very strong point.

Therefore, this is the first thing. It is time they abolish the dual pricing system and bring in this de-control of sale and allow the entire sale to be in the open market.

I would suggest that the Government buy the entire sugar production at Rs. 4 a Kg from the sugar factories and, then, make arrangements for the sale of the sugar through their own channels rather than have the dual pricing system. This system is amenawle to immense fraud. In the books it is shown by the sugar factories that they have given two third production to the Government. But ration shop records show that only one-third of production has arrived. What has happened to the transit of sugar? Where has it gone? How is it missing? Has it gone underground? It leads to sugar smuggling and export to foreign countries etc.

From the sugar industry, you can produce packaging material. After its juice is extracted that can be converted and used for producing containers. Molasses can produce synthetic rubber. I know they would produce alcohol. In theri rule, alcohol was freely available. Of course, it is perhaps necessary to forget the miseries of the present day world.

If you take a positive approach, here are a number of industries that could come up along with the sugar industry but the Government has not produced any incentive schemes for diversification of sugar industry into these ancillaries and they should go into these also. If they do, then, such Bills would become unnecessary.

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : (कोपरगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जो तीन-चार मिनट का समय दिया है, उसमें मैं अपनी बात समाप्त कर सकूं।

दिसम्बर, 1978 में भी इसको टेक-ओवर करने का बिल आया था, उस समय भी काफी बहस हुई थी और उस समय के इस विभाग के जो मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि चीनी उद्योग भारी संकट में है और किसान का भारी बकाया बाकी है और मिल-मालिक बकाया नहीं दे सकते हैं इसलिए हम टेकओवर का बिल ला रहे हैं। कांग्रेस (आई) सरकार ने जब यह अधिकार लिया है, जो खेत में गन्ना जलाया गया था तथा जो बकाया था, वह बकाया तो पूरा कर लिया लेकिन 20 रु० क्विंटल किसी राज में दाम नहीं दिए गए। इसलिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा दाम दे और बाकी जो बकाया हो, वह पूरा कर ले। उन्होंने आर्टिफिशियल प्राइस कंट्रोल कर दिया, जो चीनी थी उसको बाजार में खुला कर दिया और इतने कम दाम पर चीनी बेची कि उससे न किसानों को फायदा हुआ, इन चीनी-मिल-मालिकों को फायदा हुआ और जब निर्यात करने की कोशिश की तो उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ तथा डयुअल-प्राइस पालिसी को दोहराया।... (व्यवधान)... मैं यह बात मानने के लिए तैयार हूं कि यह रूरल इंडस्ट्री है। यह ग्रामीण विकास के लिए जो चीनी उद्योग है, वह बिल्कुल भारी काम करती है। इस समय गए साल जो गन्ने के दाम किसानों को मिले, उससे किसी भी हालत में पिछले साल से कम दाम न मिलें। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने 15.50 रु० क्विंटल के दाम

की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने 13 रु० का फैसला किया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि कम दाम पर जो गरीब लोगों को चीनी देना चाहते हैं, वह बिल्कुल दें लेकिन जो ज्यादा चीनी खाने वाले है, जो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, उनके लिए फ्रीसेल की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा दाम मिल सकें।

मैं एक बात सिक-मिल के बारे में कहना चाहता हूं। पैसे का घोटाला होने के कारण जो मिल सिक हो जाए, उस को खाली एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, वह तो नैशनलाइज होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जिन्होंने मिस-एप्रोप्रिशन किया है, उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने महाराष्ट्र का दौरा किया है, जगह-जगह पर रिआर्गनिजेशन आफ जोन बनाने चाहिए ताकि सिक मिल और न बढ़े। इसके साथ रिआर्गेनिजेशन करने से जहां गन्ने से ज्यादा रिकवरी हो, वहां तो लैवी शुगर के दाम कम हो जाएं और जहां रिकवरी कम हो, वहां लैवी शुगर के दाम बढ़ जायें इस वजह से भी किसानों को कम दाम मिलता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां भी उनको ठीक दाम मिलना चाहिए।

ड्यूल प्राईस पालिसी वैसे तो सही पालिसी है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ज्यादा उपभोग करता है उसको टैक्स ज्यादा देना चाहिए। जहां तक फ्रीसेल का सवाल है इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नफा इसमें होता है, वह सारा किसान के पास जाना चाहिए। सरकार मिल को माडर्नाइज करने के लिए 14-14 करोड़ रुपया मिल में लगाती है, जितना उससे मिलना चाहिए, वह मिलता नही है। इसलिए इसको वापिस करने का सवाल नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि नफा जो होता है वह दूसरी इंडस्ट्रीज में लगाते रहते है और चीनी मिल घाटे में चलती रहती हैं। हमारी पालिसी यह होनी चाहिए कि जो मिस एप्रोप्रिएशन करेगा, जो पैसे का घोटाला करेगा या डाइवर्सिफाई आफ फंड करेगा, उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फ्री सेल का जितना मुनाफा मिल को मिलता है, उसका पूरा पैसा किसानों को मिलना चाहिए। जो पुरानी मिलें है उस को मोडर्नाइजेशन के नाम पर 20 रुपए क्विंटल दे रहे हैं, लेकिन जब लेवी का दाम तय करते हैं तो वीयर-एंड-टीयर, मूवेबिल एंड इममूवेबिल चार्जेज का भी हिसाब लगाते हैं। इस लिए मैं यह मांग करता हूं कि लेवी चीनी का जो लाभ है वह किसानों की तरफ जाय और किसानों को गन्ने का जो भी दाम दिया जाए वह ठीक दिया जाए।

इस साल गन्ना ज्यादा है, इसलिये इस साल भाव गिरा कर मिल-मालिक उस का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिये, किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने की यदि मिल-मालिक कोशिश करता है तो उस को न उठाने दिया जाय। किसान को पिछले तीन सालों में गन्ने के भावों में जो नुकसान हुआ है, उस के मुकाबले में पिछले साल उसे जो भाव दिया गया उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। अगले साल 70 लाख टन चीनी होगी, इस साल प्लान्टेशन ज्यादा होगा, लेकिन यदि इस साल किसानों को कम दाम दिये गये तो अप्रैल-मार्च में जब किसान गन्ने की फसल बोयेगा, तो उस का प्रभाव

[श्री बालासाहिब विखे पाटिल]

उस फसल पर पड़ेगा, किसान गन्ना कम बोएगा, इस तरह से अगले सालों में चीनी का उत्पादन कम हो जायगा और चीनी के उत्पादन की जो हमारी आशा है वह पूरी नहीं हो पायेगी। इस तरह से उपभोक्ता को चीनी का ज्यादा दाम देना पड़ेगा। बफर स्टाक इस साल तो पूरा हो जायगा, लेकिन अगले साल चीनी बफर स्टाक के लिये नहीं मिलेगी। इस का एक ही तरीका है कि किसानों को ठीक दाम मिले। मैं यह भी मांग करता हूं कि एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की प्राइसेज को कानूनी रूप दिया जाय, ताकि कोई उस को कम न कर सके, इस आधार पर कि ज्यादा दाम देने से इंफ्लेशन बढ़ता है, कोई किसानों के दाम को रोक न सके।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद देते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

RAO BIRENDRA SINGH: I am very grateful to the hon. Members from both sides of the House for their very wide support to this Bill.

The scope of the Bill was confined only to extention of the period from 3 to 6 years for temporary take-over of the sick sugar mills under the accepted principle of such take-over of management under the Act passed in 1978. The hon. Members have discussed various other matters, though they are important matters—connected with the sugar policy the Government is following. I have taken note of all those points.

15.53 hrs.

[SHRI K. RAJAMALLU *in the Chair*]

The main point made by the friends who have supported this Bill was that it would have been much better if all these mills had been taken over instead of extending the period of their taking over temporarily. We are following a policy of mixed economy. It is a very big and wide question as to what industry or key industry in India should be taken over and how far private industry should continue. I am not going to answer this specific question while we are discussing this small measure. But so far as sugar industry is concerned, the industry is as good as nationalised because more than 50 per cent of the sugar mills in the country are in the co-operative sector. We have already adopted a policy that all new licences would be preferably given to co-operative—co-operative of sugar cane growers only. In Maharasthra alone—Mr. Vikhe Patil knows—10 licences have been recently given. 3 licences have been given in Haryana. One or two in Madhya Pradesh. U.P. also has got 5 new licences—all in the co-operative sector. We have also laid down that there will be restrictions even on expansion of capacity for private mills. They will have to satisfy certain conditions, namely, development of the rural area around the mill before they are allowed to expand. Therefore, I am sure, hon. Members would agree that it is better to have this agro-industry owned by farmers themselves than to resort to run this industry under the State because farmers apart from reaping benefits of poduction of sugar cane will also share the benefits of processing. This is the policy that we are following. This take-over has benefited the farmers and the workers. There was a very large sum outstanding as arrears when the mills were taken over. It was Rs. 38.53 crores for the year 1978-1981. Out of that more Rs 38 crores have been paid by the Government and there is only a sum about Rs. 51,000/- as outstanding. That is also because of certain court orders. Out of an amount of Rs. 50.77 lakhs which was outstanding for the year 1979 and earlier almost everything has been cleared. There is only Rs. 57,000/ as outstanding for the year 1980-81. This shows that Government having taken over these mills has worked towards payment of entire arrears of workers and sugar-

cane growers and this is the purpose behind the extension of period for take-over because so far we have only been able to clear the past arrears. We have not been able to do any major repairs. In the next three years when you allow us to keep it than we shall be able to invest some money on modernisation and improving the condition of the machinery so that these mills do not get sick again if these are to be handed over. Some hon. Members wanted to know as to how much money has been spent. During the last 3 years. Government invested about Rs. 13.7 crores and out of that we have already recovered a little over Rs. 4 crores. This is the financial position.

Sir, some hon. Members were very emphatic that Government, if serious in its business, should nationalise sugar mills. I hope they would be satisfied that so far as sugar industry is concerned we are following a policy of sugar mills being run by the growers and farmers.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: I would like to suggest that Government may kindly consider if instead of these mills being given back whether they should not be given to growers' cooperatives.

RAO BIRENDRA SINGH: We shall consider that suggestion but for the time being we have not taken a decision. At present the only scope of the Bill is to continue to keep these eight undertakings under Government for a further period of three years.

16.00 hrs.

The only scope of the Bill is to continue keeping these 8 undertakings under Government for a further period of three years. Some of the hon. Members have suggested that the mills should not be allowed to go sick. I entirely agree with them. This is our policy. That is why we have taken action under this Act. We are issuing notices to the mills that if they do not start working at the time of crushing of sugar-cane or close down the mills or do not pay arrears to the sugarcane growers within 14 days, the Government would take severe action against them. This action is only in the interests of the farmers and also workers who will be out of employment when the mills are closed down.

Some friends have suggested that Government should take over the responsibility to see that modernisation takes place. We accept that responsibility and that is why we have now decided to impose a cess of Rs. 5 per quintal. We shall thereby realise about Rs. 25 to Rs. 30 crores every year which we shall spend on cane development and research work and to give soft loan to the sick mills for modernisation. Smt. Krishna Sahi and some other friends made a very important point that development of rural areas can be brought about very easily if sugar industry could be developed in the country, in the cooperative sector. We have seen the example of Maharashtra where a very large percentage of mills are in the cooperative sector. I recently visited the constituency of Mr. V. K. Patil and the cooperative mills there. His father was a pioneer in this field and I have seen how the whole face of the rural areas is changed, in hundreds of villages, wherever the mills have come up.

There is also one other important point. The by-products should be utilised and the profits of the mills earned by this, that is, by-products like molasses, etc. should be ploughed back into the mills for the betterment and should be accounted for. But I am not in a position to say much on this subject, because this is out of the purview of the Agriculture Ministry. This is being looked after by the Ministry of Petroleum and Chemicals and we shall see what we can do. Certainly there is scope for paying higher prices to the farmers if all profits that the mills earn are accounted for properly and brought in their balance sheets.

[Rao Birendra Singh]

Mr. Chitta Basu and some other friends did not seem to understand that this amount of Rs. 13 which was the price fixed by the Government as minimum statutory price for the sugarcane was not relevant to the price which is to be paid to the farmers. It is only for the purpose of calculating the cost of production of sugar and for the purposes of payment of price for the 50 per cent of levy sugar that we get from the mills. Therefore, there should not be any anxiety on this account. Even last year under the Prime Minister's own instructions; the Chief Ministers in the States tried to get the maximum price for the farmers for their sugarcane keeping in view the large profits that the factories earn. In some of the States like Punjab, they get even Rs. 27 or 28 per quintal. Even though the statutory price remains at Rs. 13.0, some States have already announced that the farmers would get at least Rs. 20 or 21 or Rs. 22 or Rs. 23 per quintal for the sugarcane. I hope that the policy that we are following will prove successful as it has done in the past two years. The area under sugarcane has increased very fast and we have been able to rectify the situation and the muddle that had been created by Dr. Subramaniam Swamy earlier. I always thought that he was a bold politician, but I never knew he was so brazen also. Everybody knows what was Janata Party and what happened then. Now, he is trying to extol the performance of the Janata Party regime in this House. I am sure, he knows in his heart of hearts that he and his friends failed miserably, but I am glad at least he is taking interest in what this Government is trying to achieve and I am sure, very soon he will be able to convince himself that there could be no better Government than the present Government in India in the interest of farmers, workers and everybody else.

I do not think, I shall take much of your time. I am thankful again to the hon. Members that they have given good support to the small measure that we have brought before them, and they will also pass it when I move the motion.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

RAO BIRENDRA SINGH: I beg to move:

"That the Bill be passed".

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

श्री मनोराम बागड़ी (हिसार) : सभापति जी, असल में खेती करने वाले की हालत न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में कल-कारखाने, उद्योग, व्यापार, और नौकरी करने वाले के मुकाबले में बहुत छोटी मानी गई है और मानी जा रही है—नफे और काम के नाते से।

यह विधेयक पुराने तरीके से चला आ रहा था, जिसे संशोधन के लिए कृषि मंत्री जी लाए हैं। किसान के लिए कुछ करने की इच्छा जरूर होती हैं, उमंग होती है, लेकिन जब समाज और शासन की जकड़ ऊपर से पड़ती है तो फिर बेचारे मंत्री जी भी बेबस हो जाते हैं।

सभापति महोदय, ये कानूनों के पत्ते तोड़ने के बजाए उसकी बुनियाद की जड़ें

में जाएं। आप देखें कि किसी कल-कारखाने की पूरी पूंजी से किसी किसान की ज़मीन की कीमत बड़ी है। किसानों की कारामद ज़मीनें ली गई हैं उन पर कल कारखाने लगाए गए हैं और आगे भी लगाए जायेंगे। उनको ज़मीनों का जो मुआवजा दिया गया था वह बहुत ही कम दिया गया था और अब भी कम दिया जाता है। इस का भी आपको ध्यान रखना होगा। सिक मिलें आपने अपने कब्जे में ले ली हैं यह तो ठीक है और कम से कम आपने एक रोग को तो मिटा दिया है और इन मिलों को बीमारी से मुक्ति दिला दी है। लेकिन जो बुनियादी चीज है उस में आप को जाना होगा। बुनियादी अन्तर को आपको मिटाना होगा। किसान गन्ना पैदा करता है। उस गन्ने से चीनी पैदा होती है। मजदूर उसको पेरता है। अब आप देखें कि मैनेजमेंट को इस में कितनी आमदनी होती है, लेबर को कितनी होती है और किसान जो पैदा करता है उसको कितनी होती है। जो अन्तर है उसको आपको देखना होगा और इसको मिटाना होगा। मैनेजमेंट जो है उस में तमाम आई०ए०एस० उस या दूसरे बड़े-बड़े अफसर या बड़े-बड़े लोग होते हैं और वही बेशतर मुनाफ़ा खाते हैं। यह जो अन्तर है उसको आपको मिटाना होगा। शुरू से ही जब कभी आप विरोध में थे, पक्ष या विपक्ष में थे, आप किसान की बात किया करते थे। मैं जानता हूं कि आपके दिल में किसान के प्रति दर्द है और उसी वजह से आप उसकी बात किया करते थे। लेकिन यह जो अन्तर है इसको आप मिटाने की अब कोशिश करें। नाम कोआप्रेटिव का होता है लेकिन मिलों का संचालन आई०ए०एस० अफसर या बड़ी-बड़ी तोंद वाले करते हैं और वही मुनाफ़ा खाते हैं। गरीब किसान को गन्ने की पूरी कीमत भी नहीं मिलती है। किसान को जो ज़मीन का मुआवजा दिया गया है या दिया जाता है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। . . . .

मैं यह भी चाहता हूं कि एक पैमाना आप बनाए। हमारे देश में अरब पति और करोड़पति मिल मालिक हैं। किसी की कम्पनी 1400 करोड़ की है और किसी की 1800 करोड़ की। किसानों की पैदावार पर आधारित कारखाने जो अरबपति और करोड़पति खड़े करते हैं, उनको खत्म किया जाना चाहिए। एक सीमा आप बांध दें कि एक करोड़ से ऊपर जिनके पास हो, उनको आप मिटाएंगे। जब कभी भी लाइसेंस दिया जाय या कोई और फायदा पहुंचाया जाए तो यह शर्त लगा दी जाए कि चाहे हिस्सेदारी के आधार पर लाइसेंस देना हो और अगर किसी का पचास प्रतिशत भी हिस्सा हो लेकिन वह करोड़पति हो जो बड़े घराने से वाबस्ता हो और कोआप्रेटिव से भी चाहे उसका सम्बन्ध हो, उसको किसी तरीके से भी उस में शामिल न किया जाए। एक करोड़ से ज्यादा सम्पत्ति वाले जो लोग हैं, उनके मेलजोल वालों को, उनके वाकिफकारों को और अगर वे कोआप्रेटिव में शामिल होते हैं, तो उसको लाइसेंस आदि देते वक्त इस चीज को भी देखा जाना चाहिए।

हरियाणा की हालत से आप वाकिफ हैं। गन्ने की कीमत जो आप दे रहे हैं इसको लेकर लोगों में, किसानों में बड़ा असन्तोष है। आप हरियाणा के गांव-गांव को, घर-घर को जानते हैं। रोहतक में 184 गांवों की पंचायत अभी हुई थी और उस में यह फैसला दिया गया कि गन्ने की जो कीमत दी जा रही है वह बहुत कम है। उनकी यह मांग है कि उनको गन्ने की ठीक कीमत दिलाई जाए। आप किसान की हालत को जानते हैं। अंग्रेजों के राज्य में जब छोटू राम जी मंत्री थे तब भी किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी थी।

[श्री मनीराम बागड़ी]

किसान कितने दिन तक अपनी उपज को रोके रख सकता है ? अगर वह गन्ने को रोक कर रखना भी चाहे तो नहीं रख सकता है । यह कहना कि जनता पार्टी के वक्त जो कीमत किसान को मिल रही थी हम उससे ज्यादा दे रहे हैं कोई दलील नहीं है । जनता पार्टी की सरकार ढाई साल में चली गई । क्यों नहीं आप भी चले जाते हैं ? क्या आप भी जाने के लिए तैयार हैं । अगर कोई गलत काम करता है तो हम भी गलत करें, यह कोई दलील नहीं है । गन्ने की कीमत किसान को पूरी मिले, इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि हिम्मत करके मंत्री महोदय जरा जोर की छलांग मारें । उनके साथ जो माननीय सदस्य बैठे हैं मंत्री जी जब किसान के हितों को ले कर नारा देते हैं तो वे उनको हाथ पकड़ कर झटका देते हैं और उनको बिठा देते हैं । मैं प्रार्थना करता हूं कि हाथ छुड़ा कर किसानों के लिए कुछ बड़ी बात वह कर जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा और किसान उनको हमेशा के लिए याद रखेंगे ।

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Mr. Chairman, Sir, I wish to confine myself to just one point *i.e.* the policy which is being pursued by this Government and attacked by a number of friends from the Opposition, *viz.* the dual price policy. I am all in favour of this dual price policy, not because of some theory, but because of practical experience.

At the time of the previous Government—the moment I mention Janata, some of our friends become allergic—they did away with this dual price policy. They had only one price policy. The result was the burning down of cane in U.P. and some other States by our kisans because prices went down so low, while all the time factories were having a merry time. The middle classes appeared to be happy because prices were coming down. But actually what happened was that the prices did go up. So, this Government has done the right thing in going back to this dual price policy.

RAO BIRENDRA SINGH: Rather the previous Government itself was reverting to this.

PROF. N. G. RANGA: Yes; but now this Government is able to export sugar and also store a large quantity of it, at the same time ensuring an economic price to our farmers. It is a policy which ought to be accepted by every right-thinking person who believes in a welfare society, welfare state and welfare economics. It is true that these friends who want only one price do not believe in welfare economics at all, but believe in the good old capitalist economics, where the producers and the consumers would be exploited whereas middlemen and industrialists would be able to make profits.

I want this dual price policy to be extended from sugar to almost every other commodity needed by our masses. As a result of this dual price policy, the upper middle class, the richer people and high-salaried people in towns to-day would not be able to continue their luxurious ways of life, and luxurious, reckless and irresponsible expenditure which they indulge in while pursuing it. Their luxurious life has got to be controlled, and it can be done in best possible only this way. If we introduce controls, there may be too much of corruption, trouble and official exploitation of the farmer, as well as the consumers.

In this manner, whoever wishes to have more than one sweet at any time, and more and more sweets of the Bengali type where too much of sugar has to be pushed into every sweet, must make up their minds to spend more and more. I don't see any reason why these people should not be made

to pay market prices. What is needed today is that we should assure our ordinary massese minimum quantities of various essential commodities at the most bearable and reasonable price level. Once that is satisfied, in regard to all other people, if they wish to indulge in luxurious ways of life, let them pay for it. If the market price goes up to Rs. 10/- or Rs. 12/-, let them pay. Otherwise, let them be satisfied with one sweet. Why should they insist upon *rosgolla* and *sandesh* all the time?

Similarly in regard to clothing and rice also. I have ration rice. But some of these people would like to have *basmati* or other varieties, which are luxury ones. They are welcome, but let them pay. This is the policy of this Government.

I am glad that as far as sugar is concerned, the present Government is pursuing the right policy, and achieving success. I am happy to find that we are today in a happy position to assure an economic price to our farmers much higher than the minimum price. If Government succeeds in helping them to gain more and more, by starting their own cooperative factories and also peasant-managed and peasant-owned factories even otherwise, and if they are prepared to make sick mills effective and efficient, it will be all for the good not only for the poorer people . but also richer people and the middle class. I am not prepared to accept the marketing economy which was sought to be propagated by my friend, Dr. Subramaniam Swamy. He was asking what is this economics? Theirs is a round and round economy, cycling all the time people's money into the pockets of only capitalists and not of the general folk. Our is the welfare economy; and I am in favour of it; and I hope and I am glad that we are making success on this front. I hope, since hon. Minister is incharge of the civil supplies, he will be able to try and introduce it for as many commodities as possible and see that the distribution is much more satisfactory than it is today.

RAO BIRENDRA SINGH: There is nothing much to say. I only thank my friend Mr. Ranga who is one of our most senior members and a grand farmers' leader. I assure him that the policy that we are following, the Government intends to continue it because we want to provide cheaper sugar to the weaker sections at Rs. 3.65 per kg. and at the same time, we want to give some liberty, some freedom to the sugar mills to make good their losses, if any, on supplying of levy sugar quota to the Government. But you know that even in the free market we have controlled the prices of sugar and around festival seasons, sugar has been selling even in the Capital in Delhi around Rs. 6 per kg; and with this policy, I am sure, we shall be able to ensure remunerative prices to the farmers as was advocated by my friend, Shri Mani Ram Bagri and at the same time, we shall see that the sugar mills, most of which are in the cooperative sector, do not suffer any losses and they continue to make profit.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.22 hrs.

RAMPUR RAZA LIBRARY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RALWAYS, EDUCATION AND SOCIAL WELFARE, AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): on behalf of Shrimati Sheila Kaul: I beg to move:

"That the Bill to amend the Rampur Raza Library Act, 1975, as pass-